दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित:14 फ़रवरी,2023
निर्णय की तिथि: 17 फ़रवरी,2023

\+ **रि.या. (आप.) 59/2023**

वेद यादव .....याचिकाकर्ता

द्वारा:श्री विशेष वाधवा, अधिवक्ता

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री यासिर रऊफ अंसारी, एएससी के साथ श्री अदील-उल-हसन, अधिवक्ता।

कोरमः

माननीय न्यायामूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

माननीय स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.

1. वर्तमान रिट याचिकाकर्ता की कहानी सुनाती है, जो तिहाड़ जेल के कैदी के रूप में उपचार चाहता है और न्यायालय से मानवाधिकारों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की जांच करने का अनुरोध करता है, जिसे जेल कानूनों और नियमों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है।

2. इस प्रकार, यह निर्णय तिहाड़ जेल के एक दोषी कैदी को मुआवजे के भुगतान और उसकी मात्रा से संबंधित मुद्दे की जांच करता है, जिसे तिहाड़ जेल की फैक्ट्री में काम करते समय चोट लग गई यानी दाहिने हाथ की तीन उंगलियों कट गई है। यह अदालत इस सवाल की जांच करती है क्योंकि न तो दिल्ली जेल अधिनियम, 2000 और न ही दिल्ली जेल नियम, 2018 नियम संख्या 1084 को छोड़कर प्रश्नगत मुद्दे से संबंधित है, जो निम्नानुसार हैः

> 1084. चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित के अनुसार उन कैदियों को मुआवजे का भुगतान जो दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप शारीरिक या मानसिक विकलांगता, गंभीर चोट, मृत्यु या व्यावसायिक बीमारियों के कारण स्वास्थ्य के नुकसान का सामना करते हैं।

3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को एयरमिड अस्पताल (समयपुर, दिल्ली में स्थित) या किसी अन्य निजी अस्पताल में राज्य के खर्च पर दाहिने हाथ की कटी हुई उंगलियों को नियमित रुप से कम करने के लिए कार्यात्मक कृत्रिम अंग प्रदान करने या' जहाँ उक्त सुविधा उपलब्ध है और उसे हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए, का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने की माँग की है।

4. तत्काल याचिका की पृष्ठभूमि के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को केंद्रीय कारागार संख्या 2, तिहाड़, दिल्ली में एक दोषी के रूप में सीमित किया गया है जो भारतीय दंड संहिता 1860, पुलिस स्टेशन समयपुर बादली, दिल्ली की धारा

302/34 के तहत, प्राथमिकी संख्या 421/2012 में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 20 जनवरी, 2021 को, याचिकाकर्ता को केंद्रीय जेल संख्या 2, तिहाड़ की जेल फैक्ट्री की पेपर यूनिट में एक रैग चॉपर मशीन पर काम करते समय दाहिने हाथ की तीन अगुलियां को आंशिक रूप से कट गई। याचिकाकर्ता को तुरंत केंद्रीय जेल नं. २ से संबद्ध डिस्पेंसरी में ले जाया गया, और प्राथमिक उपचार प्राप्त करने के बाद, उसे प्लास्टिक सर्जरी विभाग में दीन दयाल अस्पताल ले जाया गया.चिकित्सा उपचार के दौरान, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली पूरी तरह कट गई थी. 21 जनवरी, 2021 को याचिकाकर्ता को सर्जरी के लिए भेजा गया और उसे अस्पताल से 03 फरवरी 2021 को छुट्टी दे दी गई. इसके बाद, 08 फरवरी, 2022 को, याचिकाकर्ता को एक विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया, जिसमें यह दर्शाया गया कि वह अपने दाहिने हाथ के संबंध में 31% की सीमा तक स्थायी विकलांगता से पीड़ित था.इसके बाद उन्हें 26.03.2022 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास विभाग में कार्यात्मक कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए भी ले जाया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि एम्स, दिल्ली में केवल दाहिने हाथ के लिए कॉस्मेटिक दस्ताना उपलब्ध है और उसे कार्यात्मक कृत्रिम अंग प्रदान नहीं किया जा सकता है.याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे अपने दाहिने हाथ की उंगलियों के नियमित रूप से काम करने के लिए कार्यात्मक कृत्रिम अंग की आवश्यकता है

और उसे कॉस्मेटिक दस्ताने की आवश्यकता नहीं है. 22 अप्रैल, 2022 को याचिकाकर्ता ने केंद्रीय जेल संख्या 2, तिहाड़, दिल्ली के जेल अधीक्षक से संपर्क कर मुआवजे की मंजूरी के लिए उसके आवेदन और राज्य के खर्च पर कार्यात्मक कृत्रिम अंग प्रदान करने के बारे में अद्यतन जानकारी मांगी थी।अपने पूर्ण आश्चर्य के साथ, याचिकाकर्ता ने पाया कि बिना कोई कारण बताए आवेदन उसे वापस कर दिया गया था.।

5. कोई अन्य उपचार नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ता ने 19.07.2022 को इस न्यायालय में रि.या. (आप.) 1574/2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को अपने दाहिने हाथ की उंगलियों के नियमित रूप से काम करने के लिए क्रियात्मक कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने 19.07.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित किया थाः

> "यह एक रिट याचिका है जिसमें याचिकाकर्ता के दाहिने हाथ में टूटी उंगलियों के नियमित कार्य के लिए क्रियात्मक कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश देने की मांग की गई है.
>
> याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनायक भंडारी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और केंद्रीय जेल सं. २ की जेल फैक्ट्री की एक पेपर यूनिट में काम करते समय, एक दुर्घटना ; का सामना करना पड़ा जिसमें उसके दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अनामिका अंगुली कट गई ।

भले ही याचिकाकर्ता को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं, याचिकाकर्ता, वर्तमान याचिका में कार्यात्मक कृत्रिम अंग के साथ-साथ मुआवजे की मांग कर रहा है।

नोटिस जारी करें। श्री संजीव सभरवाल, विद्वान अति.लो.अभि. ने श्री संजय लाओ की ओर से राज्य के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को स्वीकार किया। उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है।

09.09.2022 को सूची"

6. इसके बाद, राज्य द्वारा 09.09.2022 को स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई। इस प्रकार यह कहा गया कि *रोगी क्रियात्मक कृत्रिम अंग के लिए आया था, जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया था कि कृत्रिम अंग एम्स अस्पताल में उपलब्ध नहीं है* तथापि, इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया कि कथित उपचार दिल्ली के कुछ निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध था याचिकाकर्ता के परिवार ने एयरमिड अस्पताल, समयपुर, दिल्ली, नामक एक निजी अस्पताल से संपर्क किया था और कथित अस्पताल याचिकाकर्ता को उपचार प्रदान करने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन याचिकाकर्ता की खराब वित्तीय स्थिति के कारण, वह कथित उपचार प्राप्त करने में असमर्थ था याचिकाकर्ता को, दिनांक 09.09.2022 के आदेश द्वारा, चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के 22.04.2022 के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था.उक्त आदेश का प्रासंगिक हिस्सा यहां नीचे दिया गया हैः

...दूसरी प्रार्थना दुर्घटना के लिए मुआवजे के भुगतान से संबंधित है।

श्री भंडारी, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अधिकार दिल्ली जेल नियम के नियम 1084 से निकलता है।

श्री लाओ ने कहा कि डीजीपी, जेल आज से 4 सप्ताह के भीतर 22 अप्रैल 2022 को आवेदन पर सुनवाई करेंगे और निर्णय लेंगे और याचिकाकर्ता को निर्णय की सूचना देंगे।

यदि याचिकाकर्ता के पास कोई अन्य वैकल्पिक उपचार है या वह डीजीपी, जेल, के आदेश से व्यथित है, तो वह उचित कानूनी उपायों का लाभ उठाने का हकदार होगा।

इन टिप्पणियों के साथ, याचिका का निपटान किया जाता है। इस आदेश की प्रति डीजीपी, जेल को अनुपालन के लिए भेजी जाए।"

7. हालांकि, याचिकाकर्ता को तत्काल रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि इस न्यायालय के दिनांक 09.09.2022 के आदेश का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था और जैसा कि कहा गया है, याचिकाकर्ता के लिए कार्यात्मक कृत्रिम अंग प्रदान किए बिना नियमित रूप से काम करना मुश्किल है क्योंकि वह आजीवन कारावास के लिए दोषी है और मजदूरी अर्जित करने के लिए नियमित रूप से जेल कारखाने में काम कर रहा है वर्तमान याचिका के माध्यम से, निम्नलिखित राहत मांगी गई हैः

"(क) समायपुर, दिल्ली स्थित एयरमाइंड अस्पताल या किसी अन्य निजी अस्पताल, जिसमें उपरोक्त सुविधा उपलब्ध है, में राज्य के खर्च पर दाहिने हाथ की विच्छेदित उंगलियों के

नियमित कार्य के लिए क्रियात्मक कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें।

(ख) प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें क्योंकि प्रत्यर्थी इसका निर्णय करने में विफल रहा है।

(ग) कोई अन्य आदेश या आगे के आदेश पारित करे, जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उपयुक्त और उचित समझे।"

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान में जेल संख्या 2, तिहाड़ की बेकरी इकाई में काम कर रहा है, और इस न्यायालय के पिछले आदेश के बावजूद, याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर जेल अधिकारियों द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था. दिनांक 10.01.2023 के आदेश के आधार पर, इस न्यायालय ने इस संबंध में महानिदेशक (कारागार) से रिपोर्ट मांगी थी।

9. राज्य के विद्वत अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता (अति.स्था.अधि.) ने 10.02.2023 को न्यायालय को सूचित किया कि विद्वान महानिदेशक (कारागार), ने उचित परामर्श और मामले की विस्तार से जांच करने के बाद, दोषी/याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में 50,000/- रुपये का भुगतान किया है और 50,000/- रुपये की उक्त राशि पहले ही भारतीय बैंक, तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में जारी चेक संख्या 254284 दिनांक 30.01.2023 द्वारा उसके कैदी संपत्ति खाता संख्या 1035 में जमा की जा चुकी है।

10. हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बलपूर्वक तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को हुई चोटों को देखते हुए 50,000/- रुपये का मुआवजा उचित नहीं था.यह कहा गया कि याचिकाकर्ता समाज के एक गरीब तबके से आता है और उसकी मां, पत्नी और नाबालिग बेटे से मिलकर बने उसके परिवार की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर है, और यह याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी भी निरक्षर हैं और उसके परिवार में कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं है जो याचिकाकर्ता के चिकित्सा खर्च को वहन कर सके।

11. तब इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को रिकॉर्ड पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया था कि मुआवज़े की राशि की गणना कैसे की गई थी।

12. 14.12.2023 को, राज्य के लिए विद्वान अति.स्था.अधि. ने 13.02.2023 को एक स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखा, जिसके द्वारा उसने 50,000/- रुपये का मुआवजा देते हुए अपना रुख बदल दिया और कहा कि इसे अब अंतरिम मुआवजे के रुप में माना जा सकता है। अब इस मुद्दे की जांच पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ('डीएसएलएसए') द्वारा की जाएगी। स्थिति रिपोर्ट इस प्रकार हैः

> 1. कि इस माननीय न्यायालय ने इस मामले में दिनांक 10.02.2023 के अपने आदेश के माध्यम से, महानिदेशक (जेल), दिल्ली को निर्देश दिया है कि वह जेल में याचिकाकर्ता द्वारा जेल फैक्ट्री की पेपर यूनिट में रैग कटिंग मशीन पर काम करने के

दौरान हुई 31% स्थायी विकलांगता को देखते हुए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करें।

2. यह कि जेल विभाग ने पहले ही अंतरिम मुआवजे के रूप में दोषी को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) दिए हैं और केंद्रीय जेल संख्या 2 में रखे गए उसके कैदी संपत्ति खाते में राशि जमा कर दी गई है।

3. जेल विभाग ने इस मामले को दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के समक्ष उठाया है, जैसा कि प्राधिकरण पीड़ितों की गणना करता है और उन्हें मुआवजा प्रदान करता है, ताकि दोषी को भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की मात्रा पर जेल विभाग को सलाह दी जा सके।

4. इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि चार सप्ताह का समय दिया जाए, ताकि मुआवजे की राशि की गणना की जा सके, वितरित की जा सके और इसका अनुपालन इस अदालत में दायर किया जा सके।

तदनुसार प्रार्थना की.....

13. याचिकाकर्ता के साथ-साथ राज्य की ओर से दिए गए तर्कों को विस्तार से सुना गया। रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया गया है।

14. अतः, इस न्यायालय की राय में, इस न्यायालय द्वारा इस गंभीर मुद्दे पर फैसला सुनाये न्यायनिर्णयन किए जाने की आवश्यकता हैः

क्या कोई कैदी किसी आपराधिक मामले में दोषी होने की स्थिति में राज्य से उसी मुआवजे और सुविधा का हकदार है, जिसका वह हकदार होता, अगर वह दोषी नहीं होता?

15. वर्तमान मामले में, स्वीकार्य है कि, दोषी/याचिकाकर्ता को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी, लेकिन यह जानकर दुख हुआ कि याचिकाकर्ता को लगभग 06 महीने की प्रतीक्षा के बाद 19.07.2022 को इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा क्योंकि मुआवजे के साथ-साथ कार्यात्मक कृत्रिम अंग प्रदान करने के उसके आवेदन पर डी.जी, जेल द्वारा भी ध्यान नही दिया गया था। इसके बाद भी, यद्यपि इस न्यायालय ने डीजी, जेलों को 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस सम्बध में कोई कार्यवाही नहीं की गई. कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ता ने फिर से वर्तमान याचिकाकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और यह केवल इस न्यायालय द्वारा दिनांक १०. ०१. २०२३ के पारित आदेश के अनुसरण में है, कि महानिदेशक, जेल ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्यावाही की.

16. राज्य द्वारा इस न्यायालय को सूचित किया गया है कि चूंकि एम्स, दिल्ली में कृत्रिम अंग प्रदान करने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए या तो दोषी को एक कॉस्मेटिक दस्ताना प्रदान किया जा सकता है, या खोई हुई उंगलियों के निर्माण के लिए एम्स, दिल्ली में सर्जरी उपलब्ध है।

17. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता अपनी उंगलियों के पुनर्निर्माण की सर्जरी नहीं कराना चाहता है, लेकिन यह अनुरोध करता है कि उसे राज्य के खर्च पर एक स्वचालित कृत्रिम अंग प्रदान किया जाए, जिसके लिए सुविधा दिल्ली के समयपुर के एयरमिड अस्पताल में उपलब्ध है।

18. पक्षकारों द्वारा यह कहा गया है कि इस तरह के मामले का निर्णय अतीत मेंकिसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है और ऐसा कोई नियम नहीं है जो विचारधीन मुद्दे से सम्बधित हो।

19. जहां तक दिल्ली कारागार नियम, 2018 का संबंध है, ***नियम 1082*** का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

> 1082.वर्कशेड और अन्य स्थानों पर जहां कैदी काम करते हैं, निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएः
>
> * * * * *
>
> . सुरक्षा उपकरण और दुर्घटना निवारण उपाय.....

इसके अलावा, ***नियम 1084***, जो दुर्घटनाओं के मामले में मुआवजे के पहलू से संबंधित है, को निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः

> "चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुसार व्यावसायिक रोगो के कारण शारीरिक या मानसिक विकलांगता, गंभीर चोट, मृत्यु या स्वास्थ्य की हानि के परिणामस्वरूप दुर्घटनाओं का सामना करने वाले कैदियों को मुआवजे का भुगतान।"

20. यद्धपि दिल्ली जेल नियम, 2018 में 1900 से अधिक नियम हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये मौजूदा मुद्दे से निपटते नहीं हैं। सजा काटने के दौरान किसी दोषी कैदी को हुई कार्य संबंधी चोटों के लिए क्षतिपूर्ति हेतु वैध शिकायतों और प्रार्थनाओं के समाधान के लिए कोई निगरानी या उपचारात्मक तंत्र उपलब्ध नहीं है। इस तरह की घटनाएं अतीत में हुई होंगी और हाल के दशकों में इसका समाधान नहीं

हो पाया होगा।सौभाग्य से, वर्तमान याचिकाकर्ता के लिए, मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधान ने उसे कार्य से संबंधित चोटों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए वर्तमान मामला दायर करने का अवसर दिया।

21. दिल्ली में औद्योगिक चोट अथवा व्यावसायिक रोगों के लिए राज्य द्वारा कैदियों को मुआवजा देने से सम्बधित कोई नियम नहीं है। इन में इस संबंध में, ***कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों से मार्गदर्शन*** लिया जा सकता है जिसे ***नेल्सन मंडेला*** **<u>नियम</u>** के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत नियम 101 (2) इस प्रकार हैः

> "नियम 101(2). कैदियों को व्यावसायिक बीमारी सहित औद्योगिक चोट के लिए कैदियों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान कानून द्वारा मुक्त श्रमिकों के लिए दी गई शर्तों से कम अनुकूल शर्तों पर नहीं किया जाएगा।"

22. वर्तमान मामले का विनिश्चय करते समय, दंड के उन रूपों पर ध्यान देना आवश्यक है जो विद्यमान विधिक ढांचे के भीतर किसी सिद्धदोषी को दिए जा सकते हैं। इस संबंध में, भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 53 का उल्लेख करना उपयुक्त होगा, जो निम्नलिखित रूप में उद्धृत की गई हैः

> 53.दंड-इस संहिता के प्रावधानों के तहत जिन दंडों के लिए अपराधी उत्तरदायी हैं, वे हैं -
> *पहला* - मृत्यु
> *दूसरा* - आजीवन कारावास ;
> *चौथा* - कारावास, जो दो विवरणों का है, अर्थात्:-

(1) **कठोर, अर्थात कठोर श्रम के साथ;**
(2) सरल उपाय;
पांचवां - संपत्ति जब्त करना और
छठा - जुर्माना।"

(जोर दिया गया)

23. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***फूल कुमारी बनाम अधीक्षक का केंद्रीय जेल कार्यालय, तिहाड़ नई दिल्ली*** *ए.आई.आर. 2012 एससी 3198*, मे मत व्यक्त किया है, कठोर कारावास वह है जो विधि द्वारा कठोर श्रम के साथ पूरा किया जाना अपेक्षित है। जबकि साधारण कारावास की सजा पाए व्यक्ति के पास कार्य चुनने का विकल्प होता है, कठोर कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को कानून द्वारा कठिन श्रम से गुजरना पड़ता है।

24. वर्तमान मामले में इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस मामले में दोषी/याचिकाकर्ता कठोर कारावास की सजा काट रहा था। इसलिए, उसे जो कार्य से जुड़ी चोट लगी थी, वह उस सजा के संबंध में थी जो वह काट रहा था और जो काम वह कर रहा था, वह उसकी सजा का एक हिस्सा था। यह तर्क कि इस मामले में दोषी को कर्मचारी माना जा सकता है, गलत हॉग क्योंकि दोषी कर्मचारीनहीं है, बल्कि उन्हें वैघानिक आदेश या न्यायिक निर्देश के तहत काम करने के लिए मजबूर किया गया हैं।कोई दोषी स्वेच्छा से काम करने के लिए कोई समझौता या अनुबंध नहीं करता है और इसलिए कैदी और जेल अधिकारियों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 को कैदियों या कैदियों पर लागू नहीं माना

जा सकता है।वैसे भी, कैदियों को जेल अधिकारियों द्वारा काम पर नहीं रखा जाता है और उनकी मजदूरी का भुगतान सरकार के संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है।

25. भारत में, किसी आपराधिक अपराध की दोषसिद्धि पर दंड सुधार के सिद्धांत पर आधारित है और अनिवार्य रूप से एक सुधारात्मक नीति है।दोषियों को भारतीय दंड संहिता 1860 की खंड 53 के अधिदेश के अनुसार काम करने के लिए बनाया जाता है, जिस पर पिछले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।दिल्ली जेल नियम 2018 के अनुसार, सेंट्रल जेल फैक्ट्री, तिहाड़ गैर-लाभकारी आधार पर काम करती है, जो दिल्ली जेल विभाग के तहत स्थापित की गई है, जहां फैक्ट्री जेल नियमों के अनुसार काम करती है और कर्मचारियों को संबंधित जेल विभाग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मजदूरी भी दी जाती है। राज्य के लिए विद्वान अति.स्था.अधि. द्वारा निर्देश पर न्यायालय को सूचित किया गया है कि कारखाने केवल 10 प्रतिशत लाभ मार्जिन के साथ गैर- लाभकारी आधार पर काम कर रहे है और अर्जित किए गए कथित 10 प्रतिशत लाभ का उपयोग कैदियों के रखरखाव और कल्याण गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि यह अनिवार्य रूप से संस्थागत रखरखाव और कैदी कल्याण के आधार पर आधारित है। कैदियों द्वारा उनके सुधार की नीति और समाज और उनके परिवारोंल के लिए सार्थक होने के कारण वेतन का कुछ हिस्सा उनके परिवारजनों को भी भेजा जाता है। तिहाड़ जेल कारखाने लिफाफा बनाने/कागज बनाने, सिलाई, बढ़ई

आदि का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितयों में, जब कैदियों और जेल अधिकारियों के बीच कोई कर्मचारी या नियोक्ता सम्बध विद्वान नहीं है; काम से सम्बधित चोटों के लिए उन्हें सुरक्षा और उपचार प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि संविधान की दृष्टि इस बात की अनुमति नहीं देती है कि किसी भी नागरिक को अपराध करने या मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने या कैदी के रुप भी चोटो के लिए मुआवजे का लाभ उठाने के मामले में उपचार के बिना छोड़ दिया जाना चाहिए ।

26. ऐसे कैदियों के लिए न्याय, जो जेल में कार्य से सम्बधित चोट के कारण विकलांगता का शिकार हो गए है, उन्हें कानून के अनुसार न्याय और मुआवजा पाने का मौलिक अधिकार है।

27. हमारा संवैधानिक न्यायशास्त्र परिपक्व है और प्रगतिशील परिपक्व समाज का प्रतीक है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर जेल में रहते हुए सम्मान के साथ जीने के अधिकार को कायम रखते हुए कैदियों के अधिकारों को निर्धारित किया है और संविधान द्वारा प्रदान किए गए उनके व्यक्तिगत मानवाधिकारों के लिए खड़े हुए हैं।

28. ***डॉ. महमूद नैय्यर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य*** *2012 (8) एससीसी 1* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में हिरासत में यातना, हिरासत में मृत्यु या फर्जी मुठभेड़ का सामना करने वाले व्यक्ति को मुआवजा देने के सम्बध में रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय प्रतिपूरक न्यायशास्त्र लागू किया गया था। यह माना जाता था कि कैदियों के साथ भी मानवीय गरिमा के साथ व्यवहार किया

जाना चाहिए और उन्हें केवल इसलिए उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता कि वे विचाराधीन कैदियों के रुप में या दोषियों के रुप में जेल में हैं। 29.

माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों के अनुसार कैदियों और दोषियों के प्रति न्यायालय का स्थापित कर्तव्य है।जेल नियमों के अनुसार सुरक्षित वातावरण और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना राज्य का कर्तव्य निर्णय विधि द्वारा उपयुक्त ढंग से स्थापित है। कैदियों के रहने और काम करने की स्थितियां परेशानी मुक्त और स्वस्थ होनी चाहिए और जेल में काम करते समय किसी कैदी को चोट लगने की स्थिति में दायित्व स्थापित किया जाना चाहिए। कैदियों को नुकसान से बचाने, के लिए की पुलिस अधिकारीयों पर लगाए गए कर्तव्य, कैदियों की देखभाल करने का उनका कर्तव्य और उन्हें स्वयं को नुकसान पहुंचाने और अन्य कैदियों से होने वाले नुकसान या काम सम्बधित चोटो से बचाने के लिए उचित कदम उठाना, सवैंधानिक है।जेल अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे कैदियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करें।तथापि, यह न्यायालय इस प्रश्न का सामना करता है कि क्या यह कर्तव्य निजी अस्पताल से उपचार प्रदान करने या कैदी को कृत्रिम अंग प्रदान करने और जेल में काम करते समय लगी चोटों के कारण उसके द्वारा झेली गई विकलांगता के लिए मुआवजा प्रदान करने तक विस्तारित है।

30. कुछ दशाएं में विधि के समक्ष समानता, चाहे वह स्वतंत्र नागरिक हो या विचाराधीन नागरिक या सिद्धदोष हो और मुआवजा का उसका अधिकार विधि के अधीन उपबंधित के सिवाय भिन्न मानदंडों पर नहीं हो सकता।इस संबंध में,

जिसमें यह कहा गया था : माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्देश करना उचित होगा। ***सुनील बत्रा (II) बनाम दिल्ली प्रशासन*** *(1980) 3 एससीसी 488* में)।

> अनुच्छेद 21 में निहित रूप में यह आवश्यक है कि जीवन या स्वतंत्रता को नव प्राण प्रवाहित करने वाली उचित प्रक्रिया के अभाव में प्रसुप्त जीवतंता या पश समान अस्तित्व तक' सीमित करके नहीं रखा जा सकता कैदियों से निपटने में निष्पक्ष प्रक्रिया कानून की आसान पहुंच के भीतर कानून प्रावधान की पहुंच के एक और आयाम की माँग करती है । जो उन व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करती है, जिन्हें जेल के द्वार से बहार जाने से रोका जाता है।
>
> किसी भी कैदी को व्यक्तिगत रूप से वंचन के अधीन नहीं किया जा सकता है, जो कारावास और न्यायालय के दंड के तथ्य के कारण आवश्यक नहीं है।अन्य सभी स्वतंत्रताएं उसकी है-पढ़ने और लिखने, व्यायाम और मनोरंजन, ध्यान और जप, रचनात्मक सुख-सुविधाएँ जैसे अत्यधिक अत्यधिक ठंड और गर्मी से सुरक्षा, अनिवार्य नग्नता, जबरन अप्राकृतिक यौनाचार और अन्य असहनीय अश्लीलता जैसे अपमान से मुक्ति, जेल परिसर के भीतर आवाजाही, अनुशासन और सुरक्षा की आवश्यकताएँ, आत्म अभिव्यक्ति की न्यूनतम प्रसन्नता, कौशल और तकनीक हासिल करना और कारावास की सीमाओं के अनुरुप सभी मौलिक अधिकार।
>
> शारीरिक हमलों, के अलावा कैदी को एकांत प्रकोष्ठ में धकेलने, आवश्यक सुख-सुविधा से वंचित करना और कहीं अधिक भयावह रूप में कभी-कभी दूरस्थ कारागार में स्थानांतरित करना, जहां मित्रों या संबंधियों का दौरा समाप्त हो सकता है, अपमानजनक

श्रम का आवंटन आदि के अलावा प्रताड़नाएँ अन्य रुप ले सकती है, उसे हताश या कठोर गिरोह को सौंपना, प्रभाव में और दंडात्मक हो सकता है। ऐसा प्रत्येक कष्ट या हनन अपने व्यापक अर्थो में स्वतंत्रता या जीवन का उल्लंघन है और अनुच्छेद 21 के बिना इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इसके लिए एक सुधारात्मक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, जो निष्पक्ष, तर्कसंगत और प्रभावी हो।इस तरह का उल्लंघन, अनुच्छेद 14 के तहत, मनमाना होगा यदि यह अनिर्देशित विवेकाधिकार पर निर्भर है, अनुचित, अनुच्छेद 19 के तहत यदि यह असुधार्य और अपीलयोग्य नहीं है और अनुच्छेद 21 के तहत अनुचित है यदि यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करता है.....

कारागार प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के दंडादेश को प्रभावी बनाए। दंडादेश को प्रभावी करने का अर्थ यह है कि इससे अधिक करना अवैध है और इसलिए यह इस प्रकार है कि जेल अधिकारी जो केवल कारावास या स्थानांतरण के वंचन से आगे जाता है या हमला करता है या अन्यथा उन चीजों को करने के लिए मजबूर करता है जो अनुच्छेद 19 के उल्लंघन में दंडादेश के दायरे में नहीं आते हैं। कठोर कारावास की सजा कैदियों को कठिन श्रम करने के लिए बाध्य करती है, ना कि कठोर परिश्रम। कारागार अधिनियम की खंड 53 में कठोर श्रम का मानवीय अर्थ दिया गया है।इसलिए एक प्रतिशोधी अधिकारी द्वारा कैदी पर विशेष रूप से कठोर और अपमानजनक नौकरियों के लिए दबाव डालकर उसे पीड़ित करना कानून के आदेश का उल्लंघन है। कैदी आसान कार्यों की मांग नहीं कर सकता है लेकिन उसे उसकी क्षमता के अनुरुप कार्य के लिए नियुक्त किया जा सकता हैं।

31. कैदियों के मानवाधिकारों की अगर अवहेलना न भी की जाए तो अक्सर उनकी अनदेखी कर दी जाती है। दोषियों को एक वैध आपराधिक कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सजा दी गई है। दंड देने का आपराधिक कानून का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता और न्यायिक पूर्व निर्णय के अलावा व्यक्ति के कार्यों, अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के अनुसार है। मुख्य रूप से, भारत में सजा प्रतिशोध के अलावा एक निवारक, पुनर्वास के रूप में कार्य करने के लिए दी जाती है।

32. वर्तमान मामले की तरह परिस्थितियां शायद ही कभी उत्पन्न हों, तथापि, यह ऐसी घटनाओं पर अपनी आंखें बंद करने का आधार नहीं हो सकता है और यह समाधान खोजने की तत्काल आवश्यकता है कि दंड के आपराधिक विधि के प्रयोजन के साथ-साथ कैदियों के उनकी विशेष परिस्थिति और उनके दंडादेश के अधीन गरिमा और समानता के साथ व्यवहार किए जाने के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए उनसे कैसे निपटा जाए।कैदियों और दोषियों के प्रति राज्य और जेल अधिकारियों पर मानवाधिकार दायित्व हैं।उनमें से एक यह है कि जब कैदी न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश से गुजरता है, तो यह सुरक्षित और मानवीय हिरासत के साथ-साथ उन अपराधियों की पुनर्वास के लिए सहायता करना है और जेल से बहार आने के बाद उन्हें उपयोगी और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में फिर से एकीकृत होने में उनकी मदद करना हैं।

33. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपराधी संविधान द्वारा गारंटीकृत मानव अधिकारों से वंचित नहीं हैं, सिवाय इसके कि न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश का सामना करने वाले सिद्धदोषी होने के आवश्यक परिणाम के रूप में ऐसे अधिकारों से वंचित हैं।आपराधिक विधि प्रणाली, जो किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने और सजा पूरी करने के लिए जेल भेजने तक विस्तारित है, को उत्तरदायी और संवेदनशील होना चाहिए, जबकि ऐसे कैदी अपनी सजा काट रहे हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि गरिमा और जीवन का उनका अधिकार छीना न जाए।किसी कैदी को नीतियों की अपर्याप्तता के कारण पीड़ित नहीं किया जा सकता है जो किसी विशेष घटना पर विचार करने में विफल रही है जैसा कि वर्तमान मामले में है। न्यायिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने में योगदान करना चाहिए और उन मामलों में भी जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उपचार उपलब्ध नहीं हैउन्हें क़ानूनी उपचार प्रदान करे। यह सही कहा गया है कि बिना उपचार के अधिकार कोई अधिकार नहीं है।

34. दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 या दिल्ली जेल नियम, 2018 में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दोषी की हानि समय मजदूरी का क्या होता है जो अपनी दुर्घटना के बाद काम करने में समर्थ, नहीं था, जैसा कि वर्तमान मामले में है जहां याचिकाकर्ता ने विचारणीय अवधी के लिए अपने दाहिने हाथ की तीन उंगलियों को खो दिया था।प्रश्न में दुर्घटना के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में और

जेल से रिहा होने के बाद कैदी को होने वाली भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

35. वर्तमान मामला स्पष्ट करने और जेल में कार्य संबंधी चोटों के लिए किसी कैदी को भुगतान किए गए मुआवजे की मात्रा और आकलन के लिए समीक्षा नीति के मानक को निर्धारित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।एक दोषी और एक स्वतंत्र नागरिक के लिए उपचार अलग-अलग नहीं हो सकते हैं, यद्धपि किसी दोषी या विचाराधीन मामले में कर्मचारी-नियोक्ता संबंध की अनुपस्थिति के कारण उनका मूल्यांकन विभिन्न मानदंडों पर किया जा सकता है।

36. हालांकि, ऐसा निर्णय करते समय, इस न्यायालय को सिद्धदोषी को हुई क्षति को संतुलन का प्रयास, उसकी तुलना किसी काम पर रखे गये या किसी अनुबंध के तहत काम कर रहे कर्मकार के साथ किए बिना करना चाहिए, भले ही वह क्षति उसे सजा काटते समय या कठोर कारावास के दौरान हुई हो।

37. निष्पक्षता के सिद्धांत को दोषियों के प्रति ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें वर्तमान मामले में प्रक्रियात्मक निष्पक्षता शामिल है, क्योंकि ऐसे मामलों में किसी नियम या प्रक्रिया के अभाव में, जिसकीउचित रुप से आवश्यकता हो, नियोक्ता- कर्मचारी सम्बध मौजूदा नहीं होता है।

38. हद से अधिक, क्योंकि एक सिद्धदोषी अपने जीवन का शेष समय जेल में नहीं बिता सकता है।अपनी पूर्ण सजा काटकर रिहा होने के बाद और अपने दाहिने हाथ की तीन उंगलियां खोने वाले याचिकाकर्ता के लिए जेल से परे एक जीवन

होगा, उसके जेल से बाहर आने के बाद उसके भविष्य के नुकसान का मूल्यांकन भी उसके भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में किया जाना है।अपने दाहिने हाथ के संबंध में 31% विकलांगता का सामना करने के कारण निस्संदेह उसकी कमाई की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो निश्चित रूप से उसके और उसके परिवार के भविष्य को प्रभावित करेगा।

39. यह बहुत चिंताजनक है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को वर्तमान गंतव्य तक पहुंचने से पहले बहुत ही संघर्ष भरे रास्ते का सामना करना पड़ा क्योंकि यह घटना 20.01.2021 को हुई थी।इसके बाद, याचिकाकर्ता ने जेल अधीक्षक से संपर्क किया और 22 अप्रैल, 2022 को एक ज्ञापन दिया गया, जिसे बिना कारण बताए याचिकाकर्ता को वापस कर दिया गया और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, अथार्त, रि.या.(आप.) सं. 1547/2022, *वेद यादव बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य.*

40. यह न्यायालय यह भी नोट करता है कि मुकदमे की लागत वर्तमान याचिकाकर्ता के लिए वर्तमान न्यायालय के समक्ष शिकायत लाने के लिए एक मार्ग अवरोधक बन गया होता, यदि राज्य द्वारा जेल में ही कानूनी सहायता प्रदान न की गई होती। इस न्यायालय का यह भी विचार है कि कैदियों की हकदारी और उनके मूल अधिकारों के प्रति सुस्त दृष्टिकोण से शिथिल अधिकारियों को जगाने के लिए न्यायालय के दृढ़ रवैये की आवश्यकता है।इस न्यायालय का यह दृढ़ मत है कि कैदियों को अपनी चोटों, स्वास्थ्य आदि के बारे में किए गए दावों को इस

आधार पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए कि वे जघन्य अपराधों के लिए सजा काट रहे हैं या विचाराधीन हैं।

41. पूर्ववर्ती अनुच्छेद में उपर्युक्त चर्चा से यह प्रकट होता है कि किसी दोषी- कैदी द्वारा कार्य से सम्बधित चोटों के मामले में मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के सम्बन्ध में किसी भी नियम या कानून की गैर-मौजूदगी के अलावा कोई तंत्र, समिति या प्रक्रिया नहीं है। मौखिक बहस के दौरान भी, जब तिहाड़ जेल के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे, उन्होंने आज की तारीख में उपरोक्त स्थिति को दोहराया। केवल यह कहना कि इस मामले को डीएसएलएसए को संदर्भित किया जा सकता है ताकि वे कानून के अनुसार अन्य अपराधों के पीड़ित मुआवजा योजना के संदर्भ में याचिकाकर्ता को मुआवजा प्रदान करने में सहायता कर सकें, समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।डीएसएलएसए की पीड़ित मुआवजा योजना एक अलग संदर्भ में है और अपने ढांचे के भीतर काम करती है जिसके तहत वर्तमान तथ्य नहीं आते हैं। चूंकि कैदियों के मौलिक अधिकार का प्रश्न विचाराधीन है और उनकी कानूनी स्थिति कर्मचारी/नियोक्ता संबंध की गलती के अधीन नहीं बल्कि एक कामगार की तुलना में भिन्न स्तर पर है, इसलिए विचाराधीन मुद्दे के संबंध में एक विशिष्ट तंत्र की आवश्यकता है।

42. निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं जो समानता के अधिकार के सम्बध में न्यायशास्त्र द्वारा निर्देशित होंगे और विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित

चोट के खिलाफ उपलब्ध उपचार और एक योजना की रूपरेखा के भीतर, जो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नियमों के साथ बनाई जाएगी।

43. इस पर विचार करते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित दिशा-निर्देश अधिकथित करता हैः

क) किसी कैदी के कार्य से संबंधित अंग विच्छेद या जीवन को खतरे में डालने वाली चोट के मामले में अधीक्षक जेल निम्नलिखित के लिए बाध्य होगी **घटना के 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल निरीक्षण न्यायाधीश को तुरंत इसकी जानकारी दें**।

ख) एक **तीन सदस्यीय समिति** जिसमें (i) महानिदेशक (जेल), दिल्ली () सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर अस्पताल, दीन दयाल अस्पताल और डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल सहित किन्तु सीमित नहीं) और **()** सम्बधित जिले के डी एस एल एस ए सचिव, जहाँ से दोषी को सजा सुनाई गई है, का गठन किया जाएगा, जो डॉक्टरों के एक बोर्ड की राय लेने के बाद, जिसे इलाज करने वाले अस्पताल द्वारा उनके अनुरोध पर गठित किया जाएगा, ऐसे कार्य से सम्बधित चोट से पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन और मात्रा निर्धारित करेगा

ग) सरकारी अस्पताल जहां से पीड़ित की चोट या विकलांगता, यदि कोई हो, के लिए चिकित्सीय जांच/उपचार किया जाएगा, उसे मुआवजे के आकलन के लिए उपर्युक्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।

घ) चोट/विकलांगता का आकलन करने के लिए, पीड़ित की सहभागी लापरवाही, यदि कोई हो, को ध्यान में रखा जाएगा।

ड.) यह स्पष्ट किया जाता है कि **उपर्युक्त दिशा-निर्देश केवल अंगविच्छेदन या किसी अन्य जीवन-घातक चोट के मामले में लागू होगा, जो कार्य संबंधी चोट के कारण सिद्धदोषी को लगी हो।**

च) आवश्यक **अंतरिम मुआवजा** अंग विच्छेद या जीवन घातक क्षति के मामले में ऐसे पीड़ित को प्रदान किया जायेगा।

44. यह **व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए जाते अथवा नियम नहीं बनाए जाते अथवा ऐसी स्थिति से निपटने** के लिए भारतीय संसद के विवेक से जेल अधिनियम, 1894 या दिल्ली जेल अधिनियम, 2000 संशोधित नहीं किया जाता।

45. चूंकि वर्तमान याचिकाकर्ता को जेल अधिकारियों द्वारा पहले ही अंतरिम मुआवजा प्रदान किया जा चुका है, इसलिए आज से तीन महीने के भीतर उपरोक्त दिशानिर्देशों के आलोक में याचिकाकर्ता के मुआवजे में वृद्धि और क्रियाशील कृत्रिम अंग प्रदान करने के मामले का फैसला किया जाएगा।

<u>निष्कर्ष</u>

46. यद्यपि इस निर्णय का आशय कैदियों के नए अधिकारों का सृजन करना नहीं है, फिर भी यह समानता के अधिकार, जीवन के अधिकार और किसी कैदी की मानवीय गरिमा को मान्यता प्रदान करता है और दोहराता है जिसे दोषी ठहराया गया है।इस न्यायालय ने इस निर्णय के माध्यम से कैदियों के मौजूदा अधिकारों को अर्थ देने की कोशिश की है।

47. लोकतंत्र में कैद लोगों की दुर्दशा राज्य पर प्रकाश डालती है कि राज्य को उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए क्योंकि बहुत कम लोग ही कैद लोगों की देखभाल करते हैं।विचाराधीन कैदियों या कैदियों के प्रति अधिकांश लोगों का रवैया बहुत सकारात्मक नहीं है और जो कैदियों की ओर से बोलते हैं, उन्हें कभी-कभी पीड़ितों के प्रति कठोर माना जाता है। जेल सुधारात्मक संस्थाएं हैं और उन्हें इसी नाम से जाना चाहिए।जो लोग जेलों और कैदियों के सुधार का हिस्सा रहे हैं, वे जानते हैं कि जेल में कई लोग हैं जो अपने कष्टों में अर्थ ढूंढने में समर्थ, योग्य रहे हैं और पीड़ा द्वारा गुजरने के बावजूद अपने और अपने परिवार के लिए फिर से उठ खड़े हुए हैं।

48. मूल अधिकार कागज पर नहीं रहने चाहिए और न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे जीवंत कानून बनें और व्यावहारिक रूप से नागरिकों की सहायता, और मार्गदर्शन करें।इस मामले में आवेदक को हुई चोट और विकलांगता का आकलन एक स्वतंत्र नागरिक की तुलना में कम दर्द और पीड़ा के रूप में नहीं किया जा सकता है। एक दोषी और एक स्वतंत्र नागरिक के लिए चोट की पीड़ा अलग नहीं हो सकता है। अदालत को बेजुबानों को सुनना है और दोषी के दर्द और पीड़ा को महसूस करना होगा और उसे एक कैदी के दर्द के रुप में नहीं बल्कि एक इसांन के दर्द के रुप में समझना होगा। भारत की संवैधानिक प्रणाली के तहत, न्यायालयों ने हमेशा सुरक्षा प्रदान की है और ऐसे लोगों के लिए शरण के रूप में कार्य किया है जो असहाय, संख्या से अधिक हो

सकते हैं या शक्ति असंतुलन की स्थिति में खड़े हो सकते हैं।भारत का संविधान ऐसे मामलों में विभेद की अनुमति नहीं देता है और न्यायालय का न्यायिक और नैतिक विवेक संविधान के सिद्धांतों को आगे बढ़ाता है।

49. न्यायालय के दंडादेश के कारण समाज और परिवार से अलग किए गए कैदियों को आम जनता और उनके परिवार द्वारा अक्सर अगोचर किया जाता है।

50. इस मामले को समाप्त करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि यह समय है कि जेलों के प्राधिकारी, जो सुधार गृह हैं, कैदियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अभिभावक के रूप में कार्य करें और स्वयं को केवल कैदियों के गार्ड के रूप में न मानें।

51. इस निर्णय की एक प्रति इस न्यायालय के विद्वान रजिस्ट्रार जनरल द्वारा (i) महानिदेशक (जेल), दिल्ली, (ii) सचिव, दिल्ली के सभी जिलों के डीएसएलएसए, (iii) सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और (iv) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली को इसकी सामग्री ध्यान में रखने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्रेषित की जाए।

52. तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटान किया उपरोक्त शर्तों में किया गया है

53. निर्णय को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

स्वर्ण कांता शर्मा, न्यायाधीश

17 फरवरी, 2023/केएसएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*